संख्या- 07/2018/1081/43-1-2018-23(13)18

प्रेषक,

एस०आर०यादव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
प्रशासनिक सुधार निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक:13 सितम्बर,2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक माँग की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु वेब पोर्टल विकसित करने हेतु प्रथम अनुपूरक माँग के माध्यम से प्रशासनिक सुधार निदेशालय हेतु प्रावधानित धनराशि रु० 12,00,000/- (बारह लाख रुपये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों एवं वित्त (आय-व्ययक अनुभाग -1) के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-46 के अधीन लेखाशीर्षक"2052-सचिवालय सामान्य सेवाये-091-संलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान"के सुसंगत ईकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०आर०यादव)
संयुक्त सचिव।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार(लेखा), उ०प्र० शासन।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-नियंत्रण) अनु०-1/2 उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०आर० यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।